

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या- 109/2020-21(VIII)

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
3/9/2020	<p>वाद का प्रकार-बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि० 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एंव कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा०, दिनांक-13.05.2016 सहपटित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एंव भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा०म०नि०-119/85/2308/रा०, दिनांक-03.09.1985 एंव सह-पटित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा०, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एंव अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-  मौजा- <u>डोमल डीह</u>, थाना नं०- <u>188</u>, खाता संख्या- <u>19</u> प्लॉट संख्या- <u>94, 100</u>, रकबा- <u>1.61 ए०</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- <u>1</u> के पृष्ठ संख्या- <u>56</u> पर जमाबंदी रैयत <u>अयलाल महतो डी० मृत बुधु महतो</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एंव निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एंव राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सुजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती हैं, जिसकी बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- <u>19/9/2020</u> को उपस्थापित करें।</p> <p align="right">6/9/20 09/9/20</p> <p align="right">अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- जयपाल महतो श्री. मृत. सुकुमु  
महतो
2. जमाबंदी सं संबंधित भूमि का विवरण :-  

मौजा	थाना नं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>डोमनरीट</u>	<u>188</u>	<u>19</u>	<u>94, 100</u>	<u>1.61</u>
3. जमाबंदी पंजी-II के जिल्द संख्या.....1..... पृष्ठ सं०-.....56..... पर कायम है-
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है- 1972-73.
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- श्री. आबाद माणिक
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- उं
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :-  
श्री. आबाद
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण /अवैध भूबन्दोवस्ती) - As per order Co case N
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोवस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू-हस्तांतरण पंजी)  
सुधारित पंजी-2.
10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्रम संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>418283</u>	<u>24.1.73</u>	<u>1972-73.</u>

श्री. आबाद माणिक  
महाराष्ट्र  
आबाद माणिक अथवा मौजा डोमनरीट थाना सं० 188  
प्लॉट सं० 94, 100 रकबा 1.61 का सुधारित पंजी-2 के श्री. आबाद  
पंजी के अनुसार श्री. आबाद खाता को श्री. आबाद कालम में As per order  
Co case N - कंपनी द्वारा लगान रसीद वर्ष 1984-85 तक लगान रसीद निर्गत  
इसके का विषय वर्ष 1972-73 तक जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता  
है।